न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी अनुपमा जोरवाल IAS

राजस्व अपील सं0 16/2024 (GCMS 2024/46)

अपीलांटगण

1. खुबाराम पुत्र स्व. तोगाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम जोगा तहसील व जिला जैसलमेर।
2. गोरखाराम पुत्र स्व. तोगाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम जोगा तहसील व जिला जैसलमेर।
3. मांगुदेवी पुत्री स्व. तोगाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम जोगा तहसील व जिला जैसलमेर।
4. बबरदेवी पुत्री स्व. तोगाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम जोगा तहसील व जिला जैसलमेर।

बनाम

रेस्पोडेण्ट

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, जैसलमेर।
2. प्रेमाराम पुत्र स्व. तोगाराम जाति मेघवाल निवासी छप्परपाड़ा, जैसलमेर तहसील व जिला जैसलमेर।
3. धनाराम पुत्र स्व. तोगाराम जाति मेघवाल निवासी छप्परपाड़ा, जैसलमेर तहसील व जिला जैसलमेर।

उपस्थित :

1. श्री जितेन्द्र स्वामी, अधिवक्ता अपीलांटगण
2. ना. तहसीलदार (पैरोकार राज)

—::निर्णय::—

दिनांक: 06.05.2026

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बविरूद्ध तहसीलदार जैसलमेर द्वारा ग्राम जोगा तहसील जैसलमेर में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 33 दिनांक 01.08.2002

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी संख्या 1 से 4 व रेस्पोडेंट्स संख्या 2 से 3 की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि खसरा संख्या 17 रकबा करीब 22 बीघा किस्म बारानी ग्राम जोगा तहसील व जिला जैसलमेर में आई हुई है, जिसमें अपीलांटगण का पूर्वजों से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि पर राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों की लापरवाही व मनमाने रवैये के कारण अपीलांटगण के पूर्वजों को राजस्व रिकॉर्ड में बतौर अतिक्रमी ही दर्ज किया गया। अपीलांट्स के पूर्वजों द्वारा राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लिखित व मौखिक में निवेदन करने के उपरान्त भी उनके द्वारा खातेदार घोषित नहीं किया जाकर बतौर अतिक्रमी ही दर्ज किया जाता रहा। अपीलांटगण के पिता स्व० तोगाराम को वर्ष 1980 से लगातार 1991–92 तक अतिक्रमी दर्ज किया जाता रहा है,जिसकी अपीलांटगण के पिता द्वारा राजकोष में जुर्माना राशि भी जमा करवाई जाती रही है।

अपीलांट द्वारा अपील में कथन किया गया है कि अपीलांटगण सख्या 1 से 4 एवं रेस्पोडेण्ट सख्या 2 व 3 एक ही पिता की संतान और संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य थे। अपीलांटगण के पिता स्व. तोगाराम की मृत्यु सन् 1993 होने के पश्चात स्व० तोगाराम की पत्नी श्रीमती पेपो के नाम से यथावत रूप से पुराना खसरा संख्या 17/22 नया खसरा संख्या 17/1 में कुल रकबा 22 बीघा पर कृषि काश्त किया जाता रहा जिसके आधार पर श्रीमती पेंपो देवी को भी राजस्व अधिकारियों द्वारा बतौर अतिक्रमी दर्ज किया जाता रहा जो कि खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत 2050 से लगातार संवत 2052 तक दर्ज है। श्रीमती पेपो देवी का देहांत दिनांक 05.06.2002 को होने के पश्चात स्व० तोगाराम का संयुक्त हिन्दू परिवार अलग–अलग होने से तोगाराम के पुत्र रेस्पोडेण्ट सख्या 02 व 03 द्वारा अपीलांटगण के साथ छलकपट करके राजस्व अधिकारियों के सामने फर्जी व कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करके ग्राम जोगा तहसील जैसलमेर के खसरा संख्या 17/44 में 20 बीघा व खसरा संख्या 17 में 02 बीघा किस्म बारानी कुल रकबा 22 बीघा भूमि उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर के आदेश कमांकःराजस्व/नियम/आवंटन

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी अनुपमा जोरवाल IAS

राजस्व अपील सं0 16/2024 (GCMS 2024/46)

कैंप/2002/456 दिनांक 18.06.2002 के द्वारा नियमन करवाकर अपने नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दी, जबकि अपने अन्य भाई–बहनों (अपीलांटगण) का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया। अपीलांट के द्वारा अपील प्रस्तुत कर ग्राम जोगा तहसील जैसलमेर के नामान्तकरण संख्या 33 स्वीकृत दिनांक 01.08.2002 को निरस्त कर अपीलांटगण एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 03 के संयुक्त नाम से दर्ज करवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र संलग्न कर निवेदन किया है कि उक्त नामान्तकरण की जानकारी व नकल प्राप्ति से 30 दिन के अन्दर अपील प्रस्तुत की गई है। न्याय के सुस्थापित सिद्धान्त आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य कर अपील अंदर म्याद सुमार की जावें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 03 द्वारा सम्यक् तामीली के बावजूद उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों और आधारों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेण्टगण सख्या 02 व 03 द्वारा अपीलांटगण के साथ छलकपट करके राजस्व अधिकारियों के सामने फर्जी व कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करके ग्राम जोगा तहसील जैसलमेर के खसरा संख्या 17/44 में 20 बीघा व खसरा संख्या 17 में 02 बीघा किस्म बारानी कुल रकबा 22 बीघा भूमि उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर के आदेश क्रमांकःराजस्व/नियम/आवंटन कैंप/2002/456 दिनांक 18.06.2002 के द्वारा नियमन करवाकर अपने नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दी। अपीलांट के द्वारा ग्राम जोगा तहसील जैसलमेर के नामान्तकरण संख्या 33 स्वीकृत दिनांक 01.08.2002 को निरस्त कर पुनः अपीलांटगण एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 03 के संयुक्त नाम से दर्ज करवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया चूंकि नामान्तकरण संख्या 33 उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर के नियमन आदेश क्रमांक/राजस्व/नियम/आवंटन /केम्प/2002/456 दिनांक 18.06.2002 के क्रम में खोला गया है। कानून का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक मूल आदेश अस्तित्व में रहता है तब तक उस आदेश के अनुसरण में खोले गये नामान्तकरण को निरस्त किये जाने से कोई उपादेय परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में हस्तगत नामान्तकरण में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से **अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य नामान्तकरण यथावत रखा जाता है।** उभय पक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

जिला कलक्टर
जैसलमेर